बी० ए०, खण्ड–।।
अर्थशास्त्र (सम्मान)
चर्तुथ पत्र

डॉ बिपिन कुमार
प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग,
राम रतन सिंह महाविद्यालय, मोकामा
पी० पी० यू०, पटना।
मो०–9430064013
ईमेल–kbipin29@yahoo.Com

लोक वित्त

प्रश्न– अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त क्या है ? इसका महत्व (विशेषताएँ) कठिनाईयों (समस्याओं) की चर्चा करें।

उत्तर–सरकार व्यक्तियों की भांति ही सार्वजनिक आय तथा व्यय में ऐसा संतुलन (करना) रखना चाहती है, जिससे अधिकतम कल्याण हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऐसे सिद्धान्त को अपनाना आवश्यक हो जाता है जो सार्वजनिक आय' एंव सार्वजनिक व्यय' के बीच समुचित संतुलन (सामंजन) बना सके। 'अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त' लोक वित्त (राजस्व) की कियाओं के संबंध में सरकार के लिए मार्ग–निर्देशक की भूमिका अदा करता है– इसीलिए इस सिद्धान्त को 'राजस्व का सिद्धान्त' भी कहा जाता है।

प्रो० (डॉ०) डॉल्टन' ने अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। डॉ० डॉल्टन के अनुसार, 'राजस्व की सर्वोतम प्रणाली वह है जिसमें राज्य अपने कार्यो के द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करता है। अब यहॉ प्रश्न यह उठता है कि अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति कैसे की जाय। प्रो० डॉल्टन ने इसकी व्याख्या दो पक्षों को मानकर (लेकर) किया है 'आय पक्ष' एवं 'व्यय पक्ष'।

1. आय पक्ष : सामान्यतः सरकार अपनी आय विभिन्न प्रकार के करों से प्राप्त होती है और कर लगाने से समाज पर जो भार पडता है। उसके परिणामस्वरूप समाज को अनुपयोगिता प्राप्त होती है, इतना ही नहीं, कर की प्रत्येक अगली इकाई समाज के उपर पहले की अपेक्षा अधिक भार डालती है क्योंकि जैसे–जैसे लोगों के पास मुद्रा की कमी होती है, वैसे–वैसे ही शेष मुद्रा की उपयोगिता उनके लिए बढती जाती है। कर के रूप में जनता को जो त्याग करना पडता है उसे अर्थशास्त्र में 'सीमान्त सामाजिक त्याग' (Marginal Social Scarifies) कहते है।
2. व्यय पक्ष : जब सरकार विभिन्न श्रोतों से प्राप्त की गयी आय को व्यय करती है तो उससे सामाज को 'उपयोगिता मिलती है लेकिन व्यय की प्रत्येक अगली इकाई – समाज को कम–से–कम उपयोगिता देती है कारण कि यहॉ 'उपयोगिता ख्वास नियम' लागू होने लगता है। सरकारी व्यय से समाज को जो संतुष्टि प्राप्ति होती है उसे ही अर्थशास्त्र में ' सीमान्त सामाजिक संतुष्टि' (Marginal Social Satisfaction) कहते है।

संतुलन बिन्दु : प्रो० डॉल्टन के अनुसार, अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि 'राजकीय व्यय प्रत्येक दशा में उस सीमा तक बढते रहना चाहिए, जब तक कि उस व्यय के उत्पन्न होने वाला सन्तोष, राज्य द्वारा लगाये गये करों से उत्पन्न होने वाले असन्तोष (त्याग) के बराबर न ले जाय अर्थात वास्तव में, यह सीमा ही राजकीय आय एवं व्यय में वृद्धि करने की एक आदर्श सीमा है। दूसरे शब्दों में 'सामाजिक लाभ उस बिन्दु पर अधिकतम होता है, जहॉ व्यय करों से उत्पन्न सीमान्त सामाजिक त्याग सार्वजनिक व्वय से उत्पन्न सीमान्त सामाजिक संतोष ठीक एक दूसरे के बराबर हो जाए। इस सिद्धान्त को निम्नलिखित सारणी संख्या–1 के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है।

सारणी संख्या–1

आय एंव व्यय की इकाई	कर की प्रत्येक इकाई से उत्पन्न अनुपयोगिता	लोक व्यय की प्रत्येक इकाई से उत्पन्न उपयोगिता
1	10	50
2	15	40
3	20	30
4	25	25
5	40	15
6	50	10

उपरोक्त सारणी (तालिका) संख्या–1 से यह स्पष्ट है कि कर देने से होनेवाली उपयोगिता तथा लोक–व्यय से मिलनेवाली उपयोगिता दोनों ही चौथी इकाई पर एक समान है। अतः अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने हेतु चौथी इकाई के बाद न तो कर लगाना चाहिए और न ही व्यय करना चाहिए। इसे निम्नलिखित रेखाचित्र संख्या–1 से समझा जा सकता है:

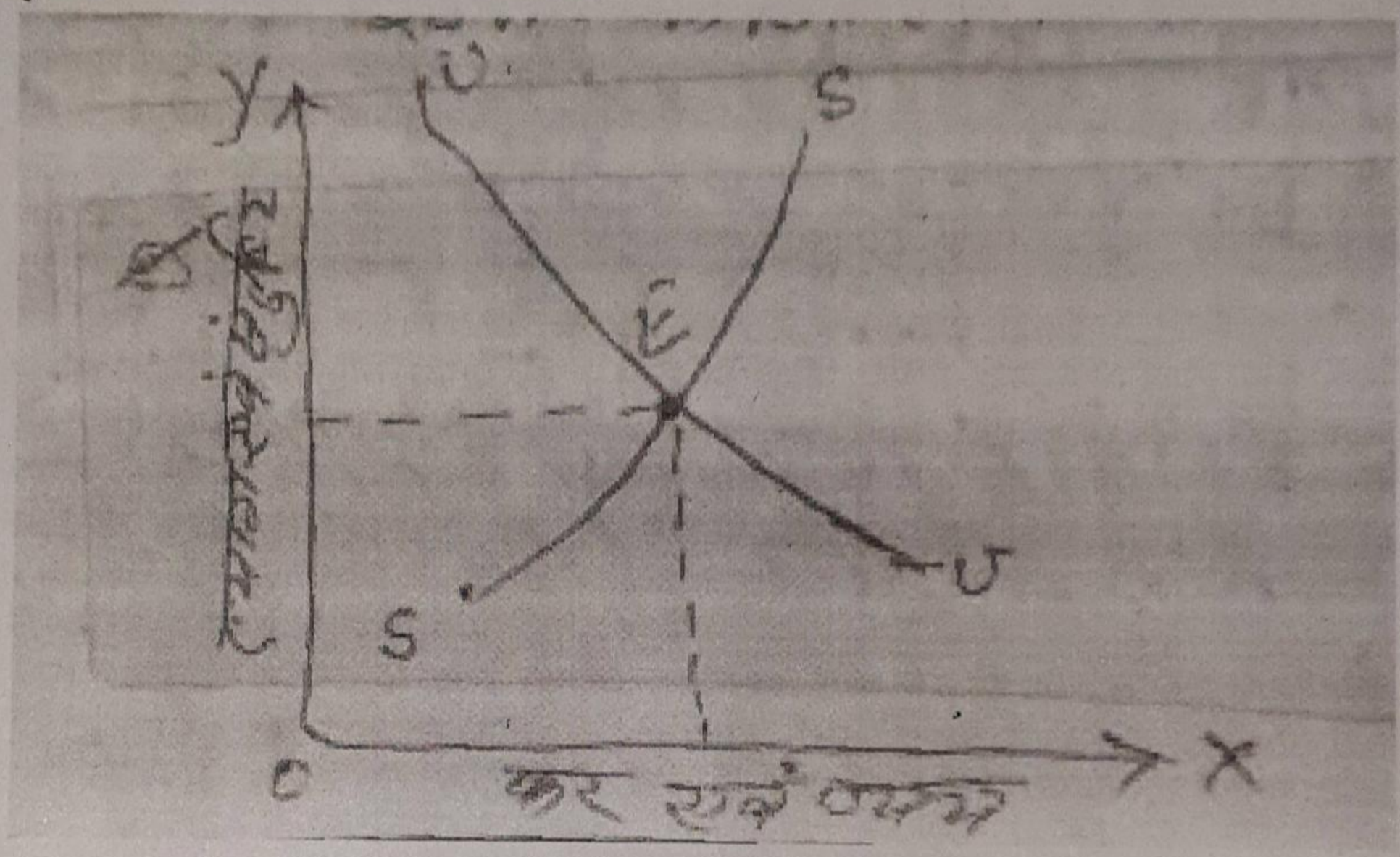

उपरोक्त रेखाचित्र संख्या–1, OX रेखा पर कर एंव व्यय की इकाई तथा OV रेखा पर त्याग एंव संतुष्टि की इकाईयों को दिखाया गया है। यहाँ UU रेखा उपयोगिता रेखा एवं SS त्याग रेखा है। UU रेखा उपयोगिता रेखा है जो सार्वजनिक व्यय से प्राप्त सीमान्त उपयोगिता को दर्शाती है। यह रेखा यह बतलाती है कि सार्वजनिक व्यय बढने पर सीमान्त उपयोगिता की मात्रा कम से जाती है।

यहाँ SS त्याग रेखा है जो कर से उत्पन्न त्याग को बतलाती है। यह रेखा यह बतलाती है कि कर में वृद्धि होने से (आयः) कमशः त्याग बढता है। E- बिन्दु पर ये दोनों ही रेखायें (मिलती) है। एक–दूसरे को काटती है। यही आदर्श बिन्दु है जहाँ पर सीमान्त त्याग एवं सीमान्त सन्तुष्टि बराबर है। इसी बिन्दु पर सामाजिक लाभ अधिकतम होगा।

उपरोक्त रेखा चित्र संख्या–1 में, OX रेखा पर कर एवं व्यय की इकाई तथा OV रेखा पर त्याग एंव संतुष्टि की इकाईयों को दिखलाया गया है। यहाँ UU रेखा उपयोगिता रेखा एवं SS रेखा त्याग रेखा है। UU रेखा उपयोगिता रेखा है जो सार्वजनिक

व्यय से प्राप्त सीमान्त उपयोगिता को दर्शाती है। यह रेखा यह बतलाती है कि सार्वजनिक व्यय बढने पर सीमान्त उपयोगिता की मात्रा कम हो जाती है।

यहॉ SS त्याग रेखा है जो कर से उत्पन्न लाभ को बतलाती है। यह रेखा यह बतलाती है कि कर में वृद्धि होने से (प्रायः) कमशः त्याग बढता है। E बिन्दु पर ये दोनों ही रेखा में (मिलती हैं) एक–दूसरे को काटती है। यही आदर्श बिन्दु है जहॉ पर सीमान्त त्याग एवं सीमान्त संन्तुष्टि बराबर है। इसी बिन्दु पर सामाजिक लाभ अधिकतम होगा।

समाजिक व्यय का विभिन्न प्रयोगो में विभाजन एवं करों का विभिन्न श्रोतों में वितरणः अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त केवल यही नहीं बतलाता है कि सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक व्यय में किस सीमा तक वृद्धि करना चाहिए। यह उस चीज को भी स्पष्ट करता है कि सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक व्यय का विभिन्न मदों में किस प्रकार विभाजन करना चाहिए। इस सिद्धान्त के मुताबिक सरकार को विभिन्न उपयोगो पर इस प्रकार व्यय करना चाहिए कि प्रत्येक से प्राप्त सीमान्त उपयोगिता बराबर या लगभग बराबर हो। यदि मुद्रा का उपयोग इस प्रकार से किया जा रहा है कि एक उपयोग से सीमान्त उपयोगिता दूसरे उपयोग की तुलना में कम है तो कुल सामाजिक उपयोगिता (लाभ) अधिकतम नहीं होगी और सरकार को एक उपयोग से (व्यय) खर्च कम करके दूसरे उपयोग को व्यय में वृद्धि करने में लाभ होगा। इसी प्रकार, सरकार को कर का भार विभिन्न वर्गो पर इस प्रकार से डालना चाहिए कि सभी वर्गो को समान या लगभग समान सीमान्त त्याग करना पडे। यह स्पष्ट है कि गरीब एवं कमजोर वर्गो में धनी वर्ग के लिए मुद्रा की उपयोगिता कम होती है– इसलिए सीमान्त सामाजिक त्याग को न्यूनतम या सभी वर्गो के लिए बराबर करने के लिए गरीब वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग पर अधिक उॅची दर से प्रगतिशील कर लगाये जाने चाहिए।

अतः करों का भार विभिन्न श्रोतों में इस प्रकार विभाजित किया जाय कि प्रत्येक श्रोत का सीमान्त त्याग समान हो जाये ताकि समाज द्वारा किये जाने वाले कुल त्याग की मात्रा न्यूनतम हो सके। यदि एक श्रोत का सीमान्त त्याग दूसरे श्रोत के सीमान्त त्याग से अधिक है तो अधिकतम सामाजिक लाभ की. दृष्टि से यह उचित होगा कि पहले श्रोत पर कर कम किया जाये और दूसरे श्रोत पर कर को बढा दिया जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अधिक इस सामाजिक लाभ को सिद्धान्त की कियाशीलता निम्नलिखित प्रमुख मान्यताओं पर आधारित हैं:

1. सार्वजनिक व्यय से प्राप्त सीमान्त उपयोगिता तथा करों के भार से उत्पन्न सीमान्त त्याग बराबर होना चाहिए।
2. विभिन्न साधनों पर लगाये गये करों के भार से उत्पन्न उपयोगिता बराबर होनी चाहिए।
3. विभिन्न उपयोगों पर सार्वजनिक व्यय से प्राप्त सीमान्त उपयोगिता बराबर होनी चाहिए।

अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त की प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित है:

1. इस सिद्धान्त से यह स्पष्ट है कि राजस्व का प्रमुख उद्देश्य जन–कल्याण से संबंधित है।
2. यह सिद्धान्त सार्वजनिक आय तथा व्यय की अनुकूलतम सीमा का निर्धारण करता है।
3. इस सिद्धान्त के अनुसार सामाजिक कल्याण उस बिन्दु पर अधिकतम होता है जहॉ लोक आय से होने वाली सीमान्त अनुपयोगिता (त्याग) लोक व्यय से प्राप्त सीमान्त उपयोगिता (लाभ) के बराबर होती है।

अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धान्त की व्यावहारिक कठिनाईयॉ या आलोचनायें निम्नलिखित हैं:

सामान्यतया, सैद्धन्तिक रूप से यह सिद्धान्त काफी सरल, उचित और न्याय पूर्ण प्रतीत होता है जबकि व्यावहारिक दृष्टिकोण से इस सिद्धान्त के कियान्वयन में निम्नलिखित प्रमुख कठिनाईयॉ उत्पन्न होती है:

1. उपयोगिता और अनुपयोगिता के माप की कठिनाईयॉ: अधिकतम सामाजिक लाभ का वह बिन्दु है, जहॉ करों के द्वारा होने वाली सामाजिक सीमान्त उपयोगिता तथा सार्वजनिक व्यय से होने वाली सीमान्त उपयोगिता समान होती है, लेकिन व्यवहार में ऐसी उपयोगिता और अनुपयोगिता को मापना कठिन होता है।
2. आय और व्यय का सम्बन्ध: यह सर्वादित है कि सरकारी वित्त निर्धारण पहले किया जाता है और आय के साधन बाद में जुटाये जाते है।इसके बाबजूद अगर आवश्यक मात्रा मं कर की प्राप्ति नहीं हो या आनुपातिक रूप से व्यय मं कटौती कर दी जाती है या घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाया जाता है– तो इसकी प्रतिपूर्ति कभी–कभी ऋण लेकर भी की जाती है। इन दोनों ही स्थितियों (मुद्रा स्फीति) या ऋण में कर भार या उपयोगिताओं का पता लगाना कठिन है।
3. राजस्व कियाओं पर गैर–आर्थिक घटकों का प्रभाव: यदि यह मान लिया जाय कि उपयोगिता और त्याग का माप और उनकी तुलना संभव है तब भी इस सिद्धान्त के व्यवहारिक प्रयोग में कठिनाईयॉ आती है कारण कि राजस्व की कियायें अनेक गैर–आर्थिक, व्यक्तिगत और राजनैतिक घटकों से प्रभावित होती है।
4. वर्त्तमान त्याग और भावी उपयोगिता की समस्या: अनेक सार्वजनिक व्यय भविष्य अथवा दीर्धकालीन दृष्टिकोण को घ्यान में रखकर किया जाता है। यह बात विशेष कर विकास वित्त पर लागू होती है। ऐसी स्थिति में जनता पर कर भार तत्काल पडता है। अतः भविष्य का लाभ विकास योजनाओं के सफलता पूर्वक पूरा होन पर प्राप्त होगे तथा करों के रूप में त्याग के बीच तुलना करना संभव भी नहीं है। अतः परिणामस्वरूप हम यह देखते हैं कि अधिकतम सामाजिक लाभ की धारणा काल्पनिक प्रतीत होने लगती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रो0 डॉल्टन के कथनानुसार' 'यह सिद्धान्त सरल' स्पष्ट और शोधपूर्ण है: लेकिन व्यावहारिक रूप से इसको व्यवहार में प्रयोग करना उतना ही कठिन है।

"The Principle is obvious simple and for reaching though its practical application is often very difficult"